प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 100/2022

अनवान : –

1. रामेश्वर पुत्र सुणाराम जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **अप्रार्थी**

<u>प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती</u>
<u>अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट</u>

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः **21.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 142/132 की कुल 1.8630 हैक्ट भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है उक्त खाता में प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र सुहनाराम दर्ज है एवं रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 260/141 की कुल 1.8630 हैक्ट भूमि भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार उक्त खाते में प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र सुहना है तथा रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 280/266 की कुल 5.4130 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम रामेश्वरलाल पुत्र सोहना दर्ज है। उक्त तीनों खातों में प्रार्थी के पिता का नाम सुहना राम, सुहना व सोहना कतई गलत दर्ज है।

उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का सहवन से गलत दर्ज हो गया है प्रार्थी के पिता का सही व वास्ततिक नाम सुणाराम है जो कि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी अपने पिता का नाम संशोधित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई मर्तबा कहा की राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सही कर देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने [illegible] जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राज[illegible].01.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि प्रार्थी [illegible]नाराम, सुहना के [illegible] पर सुणाराम किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में पेश हुई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता का सही नाम सुणाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम सुहनाराम व सुहना दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों को सुना। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 142/132 की कुल 1.8630 हैक्ट भूमि व रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 260/141 की कुल 1.8630 हैक्ट भूमि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 280/266 की कुल 5.4130 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी अपना नाम क्रमशः रामेश्वर पुत्र सुहनाराम, रामेश्वर पुत्र सुहना, रामेश्वरलाल पुत्र सोहन के स्थान पर रामेश्वर पुत्र सुणाराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व सरंपच ग्राम पंचायत लाखासर द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि में सही नाम रामेश्वर पुत्र सुणाराम अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी के पिता का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा ललानिया तहसील नोहर के खाता स0 142/132 की कुल 1.8630 हैक्ट भूमि व रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 260/141 की कुल 1.8630 हैक्ट भूमि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 280/266 की कुल 5.4130 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी अपना नाम क्रमशः रामेश्वर पुत्र सुहनाराम, रामेश्वर पुत्र सुहना, रामेश्वरलाल पुत्र सोहना के स्थान पर रामेश्वर पुत्र सुणाराम का संशोधन किया जाता है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच क्रमशः रामेश्वर पुत्र सुहनाराम, रामेश्वर पुत्र सुहना, रामेश्वरलाल पुत्र सोहना के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का क्रमशः रामेश्वर पुत्र सुहनाराम, रामेश्वर पुत्र सुहना, रामेश्वरलाल पुत्र सोहना के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम क्रमशः रामेश्वर पुत्र सुहनाराम, रामेश्वर पुत्र सुहना, रामेश्वरलाल पुत्र सोहना ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 21/6/... को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:01:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प :मलवानी